न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01 / 2023 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. याकुब खां पिता अनीस खां, जाति मुसलमान, निवासी जिनींग फैक्ट्री के सामने बड़ोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. अयुब खां पिता अजीज खां, जाति मुसलमान, निवासी जिनींग फैक्ट्री के सामने बड़ोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. अनीस खां पिता अजीज खां, जाति मुसलमान, निवासी जिनींग फैक्ट्री के सामने बड़ोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

सुभाषचन्द्र पिता महावीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी कॉलेज रोड़, बासवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम –1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा
दिनांक 23.06.2022 प्र.सं. 08 / 2019

———/———

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 27–03–2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के एक मात्र खातेदारी की आराजी नंबर 2634 रकबा 0.01 हैक्टर भूमि ग्राम बडोदिया, तहसील बागीदौरा में स्थित है, जिसका प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार होकर विपक्षीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुए भी झगड़ा फसाद करते हैं तथा कब्जा करने की धमकी देते हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 23–06–2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:50 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील दिनांक 09–01–2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि सर्वे नंबर 2634 रकबा 0.01 हैक्टर के साबिक आराजी नंबर 749 होकर किस्म नाला था तथा नाले की भूमि में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सर्वे नंबर 750 पर कब्जा अपीलान्टगण का है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के काउण्टर प्रार्थना पत्र पर किसी का निर्णय पारित नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट विवादित आराजी नंबर 2634 रकबा 0.01 हैक्टर का रेकार्डेड खातेदार है, जिससे अपीलान्टगण का कोई संबंध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 23–06–2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:50 IST
Reason: SelfAttested